बीस रुपये TWENTY RUPEES दस रुपये TEN RUPEES

(497)

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश ग्वालियर

पुनरीक्षण प्रकरण क्र. /2017 R 577-I/17

मेहताब सिंह पुत्र श्री कोकसिंह जाति गू.ठा., व्यवसाय– कृषि, निवासी ग्राम तिघरा का पुरा तहसील व जिल मुरैना (म.प्र.) --आवेदक

श्री विनोद कुमार
द्वारा आज दि. 7-2-17 को
प्रस्तुत

क्लर्क ऑफ कोर्ट 7-2-17
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

विरुद्ध

आदिराम पुत्र श्री तेजसिंह जाति जाटव, निवासी– ग्राम तिघरा का पुरा तहसील व जिल मुरैना (म.प्र.)

--अनावेदक

न्यायालय नायब तहसीलदार उप तहसील बामौर तहसील व जिला मुरैना द्वारा प्रकरण क्रमांक 1/अ–70/2016–17 में की जा रही कार्यवाही एवं आदेश दिनांक 09/01/2017 के विरुद्ध म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अधीन पुनरीक्षण।

विनोद भार्गव
एडवोकेट
ग्वालियर
7-2-2017

माननीय महोदय,

आवेदक का पुनरीक्षण निम्नानुसार प्रस्तुत हैः–

1. यहकि, आवेदक द्वारा अधीनस्थ न्यायालय अपर आयुक्त महोदय द्वारा प्रकरण क्रमांक 43/2014–15/अपील में पारित आदेश दिनांक 03/11/2016 के विरुद्ध माननीय इस न्यायालय के समक्ष पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक 4364–I/2016 प्रस्तुत किया है। माननीय न्यायालय द्वारा यह पुनरीक्षण सुनवाई हेतु ग्राहय किया गया है, जो वर्तमान में विचाराधीन है।

2. यहकि, अपर आयुक्त महोदय द्वारा उपर्युक्त प्रकरण में पारित आदेश दिनांक 03/11/2016 के पालन में अनावेदक द्वारा नायब तहसीलदार महोदय, उप–तहसील बामौर के समक्ष संहिता की धारा 250 के अधीन आवेदन किया है जिस पर नायब तहसीलदार महोदय द्वारा कार्यवाही की जाकर आक्षेपित आदेश पारित किया गया है जो अपास्त किये जाने योग्य है।

(3)

3. यहकि, जब अपर आयुक्त महोदय के आदेश के विरुद्ध माननीय इस न्यायालय के समक्ष पुनरीक्षण लंबित होकर विचाराधीन है। तब ऐसी स्थिति में ...

XXIX(a)-BR(H)-11

497

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-577-एक/17 **जिला** - मुरैना

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
05-12-18	आवेदक की ओर से यह निगरानी नायब तहसीलदार के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत नायब तहसीलदार द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 24-5-19 को कलेक्टर, जिला मुरैना के समक्ष उपस्थित हों। **प्रशासकीय सदस्य**	